न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 686 / 2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी		छगनाराम पुत्र लालाराम जाति मेगवाल व अन्य

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री दलाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 07 से 09, 11 से 19 व 21 से 32
3. विप्रार्थी सं. 5 स्वयं उप0।
4. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 30.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व / 2016 / 7205–40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा राजस्व ग्राम गोलिया भाटा पटवार मण्डल जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार निजी खातेदारी में मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन में पारित आदेश 16.03.2022 की पालना में गै.मु.रास्ता का के रूप में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद के विरूद्व विप्रार्थी शंकराराम व अन्य द्वारा माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष दायर अपील सं. 341 / 2023 अनवान छगनाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2023 में प्रतिप्रेषित निर्देशों के प्रकरण रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड प्रकरण [illegible]सार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट पुनः तलब करते हुए पक्षकारान की सुनवाई की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:05 IST
Reason: SelfAttested

विप्राथी शंकराराम ने अपने अभिकथनों में तर्क दिया कि माननीय [illegible]0 संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा न्यायालय श्री के निर्णय दिनांक 16.03.2022 अनवान सरकार बनाम छगनाराम मुसं. 686 / 2021 को अपास्त करते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.08.2023 के जरिये इन निर्देशों से प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किया कि तहसीलदार सिणधरी से उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका जॉच करवाकर मौका नक्शा व मौका फर्द तलब की जावे तत्पश्चात

उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण का विधिवत निस्तारण किया जावे। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। ऐसी स्थिति में मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ता को खारिज कर पुन. खसरे की मूल स्थिति बहाल की जावे।

इसके विपरीत विप्रार्थी सं. 07 से 09, 11 से 19 व 21 से 32 की दलील है कि ग्राम गोलिया भाटा के खसरा संख्या 950/204 किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर विप्रार्थीगण शंकरराम पुत्र लालाराम, लीलाराम पुत्र शंकरराम, मलाराम पुत्र लालाराम, मोडाराम पुत्र मलाराम, चेलाराम पुत्र डायाराम, मोहनराम पुत्र छगनाराम जातियान मेघवाल निवासी गोलिया भाटा वालो ने एकराय होकर दिनांक 28.08.2023 को उक्त रास्ता को बन्द कर दिया है, मुलजिमान द्वारा रास्ता की भूमि खाई खोदकर कांटो की बाड कर दी है तथा मुलजिमान द्वारा गै.मु. रास्ता की भूमि निर्माण कार्य कर अतिक्रमण करने पर भी आमादा है। पूर्व में उक्त रास्ता को हल्का पटवारी व भूअभिलेख निरीक्षक सिणधरी मय पुलिस इमदाद द्वारा दिनांक 22.08.2023 को मौके पर ग्राम पंचायत भाटा के सरपंच प्रतिनिधि हंजाराम व उपस्थिति मौतबिरान के रूबरू मौके पर चल रहे रास्ते को जेसीबी चलाकर चालू किया गया था लेकिन उक्त विप्रार्थीगण ने दिनांक 28.08.2023 को उक्त रास्ते वापिस बन्द किया कर दिया है, विप्रार्थीगण बदमाश एवं झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है जो बार-बार सरकारी रास्ते को बन्द कर हम ग्रामवासीयों को तंग परेशान करते है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि विप्रार्थीगण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर उक्त सरकारी रास्ता को खुलवाने की कृपा करावे।

प्रार्थी के पैरोकार ने अपनी बहस के समर्थन में कथन किया कि श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में राजस्व ग्राम गोलिया भाटा पटवार मण्डल जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076-2079 के अनुसार निजी खातेदारी में मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के पारित आदेश 16.03.2022 की पालना में गै.मु.रास्ता का अंकन राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। उक्त पारित निर्णय के विरूद्ध विप्रार्थी शंकरराम व अन्य द्वारा माननीय [illegible] संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष दायर अपील सं. 341/2023 [illegible] में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2023 में प्रतिप्रेषित निर्देशों के रिमाण्ड प्रकरण में मौके पर दिनांक 28.12.2023 को मौका स्थिति की पुनः जांच की जाकर मौके पर विद्यमान मूल खसरा नम्बर 204 रकबा 8.1952 हैक्टयर मे से रास्ते के रूप में अमलदरामद के बाद कायम खसरा नम्बर 950/204 रकबा 0.1699 हैक्टयर भूमि सलंग्न नजरी नक्शा में बरंग- हरा में प्रदर्शित है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

जो वर्तमान में आवागमन हेतु मार्ग के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है, जिसे यथावत कायम रखते हुए पुनः आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपूर के निर्णय तथा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर शिविर जोधपुर के पारित निर्णय एवं प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए प्रकरण का विधिवत विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि राजस्व ग्राम गोलिया भाटा पटवार मण्डल जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार निजी खातेदारी में मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन में न्यायालय हाजा के पारित आदेश 16.03.2022 की पालना में गै.मु.रास्ता का अंकन राजस्व रेकर्ड में किया गया। उक्त पारित निर्णय के विरूद्व विप्रार्थी शंकरराम व अन्य द्वारा माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष दायर अपील सं. 341/2023 अनवान छगनाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2023 में प्रतिप्रेषित निर्देशों की पालना में पुनः मौके की जांच हेतु तहसीलदार सिणधरी स्वयं को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपने पत्रांक 130 दिनांक 15.01.2024 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अद्यतन में पाया गया कि वादग्रस्त आराजी मोजा गोलिया भाटा पटवार मण्डल जूना मीठा खेड़ा के मूल खसरा संख्या 204 रकबा 8.0253 हैक्टेयर किस्म बा.दो व उससे नये बने खसरा संख्या 951/204 रकबा 0. 1699 हैक्टेयर किस्म में, मु. रास्ता भूमि के मौके पर चल रहे कदीमी स्थायी रास्ता गोलिया भाटा से प्रजापतों की ढाणी तक का निजी खातेदारी के रूप में गै. मु–रास्ता दर्ज करने के निर्णय दिनांक 16.03.2022 की पालना में दायर ना0 क0 संख्या 266 स्वीकृत दिनांक 08–07–2022 के द्वारा विप्रार्थीगण खातेदारों छगनाराम वगेरा के नाम नया खसरा संख्या 950/204 रकबा 0.1699 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। उक्त कदीमी रास्ता संलग्न नक्शा में दर्ज व दर्शाये गये बरंग अनुसार खातेदारी संख्या 204 से प्रारम्भ होकर खसरा संख्या 202, 198, 196, 191, 190/1, 189/1 में से होते हुए मौके पर वर्तमान में लगभग 1.5 कि मी लम्बाई में चालू रूप से चल [illegible] है। [illegible] कदीमी रास्ता से वर्तमान में करीबन 30–35 घरों की लगभग 120–125 तक की [illegible] लोगों का दैनिक आवागमन रहता है इनके ग्राम पंचायत मुख्यालय भाटा व राजस्व ग्राम मुख्यालय गोलिया भाटा से आने जाने हेतु उक्त कदीमी रास्ता ही एकमात्र नजदीकतम विकल्प है जो लगभग 30–40 वर्षों से संलग्न नक्शे में दर्शित खसरों की भूमि में होकर मैाके पर स्थायी रूप से चल रहा है। पिप्रार्थीगण छगनाएम वगैरा की विपादित आराजी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 204 में वर्तमान भौतिक कब्जा–काश्त व मौके पर मौजूद सेढा, बाड़ आदि के आधार पर उक्त कदीमी रास्ता इसी खसरे की भूमि में ही मौके पर व्यस्थित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:05 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर की राजस्व अपील संख्या 341/2023 निर्णय दिनांक 17.08.2022 एवं माननीय न्यायालय श्री राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर शिविर जोधपुर की अपील नंबर 5500/2023 निर्णय दिनांक 26–10–2023 अनवान छगनाराम वगेरा बनाम राज सरकार में पारित निर्णय में रिमाण्ड प्रकरण के तहत मौका में स्थिति की पुनः जांच करते हुए निर्णय पारित करने एवं मौके पर कोई भी पक्ष उक्त कदीमी रास्ते को बंद नहीं करने के निर्देशों से आदेशित करने के फलस्वरूप प्रशासन द्वारा दिनांक 22.08.2023 10.10.2023 एवं 09.11.2023 को खुलवाया जाने के बावजूद विप्रार्थीगण छगनाराम वगेरा द्वारा मौके पर बंद कर बाधित करने की शिकायत मिलने पर मौके पर बंद कदीमी रास्ता को खुलवाया जाकर सुचारू कराया जाकर माननीय न्यायालय निर्णयों की पालना सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में मौके पर खसरा संख्या 204 के अतिरिक्त शेष खसरा 202, 198, 196, 191, 190/1 व 189/1 में उक्त कदीमी रास्ता निर्बाध रूप से विवाद रहित खुला व चालू चल रहा है। ऐसी स्थिति में मौके पर विद्यमान ग्राम गोलिया भाटा के खसरा नम्बर 204 में से होकर मौके पर चालू स्थायी रास्ते के रूप में संलग्न नक्शा में दर्शाये गये बरंग हरा अनुसार चल रहे कदीमी रास्ता रकबा 1–01 बीघा (0–1699 हैक्टेयर) भूमि का खातेदारों की निजी खातेहारी के रूप में गै.मु. रास्ता का राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाकर रिमाण्ड प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व ग्राम गोलिया भाटा पटवार मण्डल जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 204 में से रास्ते के रूप में कायम नये खसरा नम्बर 951/204 रकबा 0.1699 हैक्टयर किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकःप. 3(2)राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के अनुसरण में निम्नांकित निजी खातेदारी भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित निजी खातेदारी में रहेगा। परंतु नक्शे में जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जायेगी। शेष पूर्ववत निर्णय दिनांक 16.03.2022 बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:05 IST
Reason: SelfAttested

उपलब्ध करावें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा कमांक भू.अ / 2024 / 130 दिनांक 15.01.2024 के जरिये मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. स.	खातेदारान का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि			
					रकबा (हैक्ट.)	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	किस्म
1	डायाराम,शंकरराराम मलाराम डूंगराराम,हपाराम छगनाराम पि लालाराम	204	8-1952	बा.दो.	0-1699	138	3	गै.मु. रास्ता

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:05 IST
Reason: SelfAttested